भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1714

उत्तर देने की तारीख : 04.08.2025

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य

1714. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) के अध्यक्ष, सदस्यों और सचिव की नियुक्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि आयोग विधिवत नियुक्त अध्यक्ष, सदस्यों और सचिव के बिना ही कार्य कर रहा है; और

(ग) आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सचिव की नियुक्ति में देरी के क्या कारण हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

एनसीएम अधिनियम, 1992 की धारा 3(2) के अनुसार, आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पाँच सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित, योग्य और निष्ठावान व्यक्तियों में से नामित किया जाता है, बशर्ते कि अध्यक्ष सहित पांचों सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से हों। प्रत्येक सदस्य पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्यरत रहता है।

एनसीएम अधिनियम, 1992 में यह भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को नामित करेगी। आयोग में प्राप्त शिकायतों को एनसीएम कार्यालय द्वारा निवारण हेतु संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उस समय तक निरंतर उठाया जाता रहेगा जब तक कि सरकार द्वारा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर दी जाती।

एनसीएम के सचिव के पद पर नियुक्ति संबंधी आदेश, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। अतः अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इसके लिए अनुरोध किया है।
